

— आदेश —

समस्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिमिटीव ट्रस्ट सुधार की संज्ञा में आती है। अश्विन इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- पटवारी मण्डल-

क्र.सं.	पूरे इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
2	3	4	5	6	7	
सत्यमेव जयते	मौहम्मद रफीक पुत्र शेरखान कैम मु. शेरनी सा. शेरनी आबाद खोतेदार रहन बदस्तुर	750	3.83	मौहम्मद रफीक पुत्र सरवरखान कैम मु. शेरनी सा. शेरनी आबाद खोतेदार रहन बदस्तुर	750	3.83

क्रमांक : 268/6/3/20
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक :
प्रतिलिपि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

तहसीलदार डीडवाना

